पटवारी रिपोर्ट

श्रीमानजी, ग्राम [illegible] के राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 103, 105, 106, 107, 38, 94, 109, 128, 179, में विरासत से खातेदार का नाम श्योराज, श्योलाल, श्योचन्द, शिवलाल पिता दूदा जाति गुर्जर दर्ज है जबकि खातेदार का नाम आधार कार्ड व राशन कार्ड में शिवराज पुत्र दूदा दर्ज है। अतः श्रीमान खातेदार का नाम शिवराज पुत्र दूदा दर्ज किया जाना उचित होगा।

भू.अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट

श्रीमानजी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी तथा संलग्न आधार कार्ड राशन कार्ड अर्जुनत इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित होगा। [illegible] शिवराज पुत्र दूदा नाम इन्द्राज किया जाना उचित होगा। [illegible] 9.10.25

तहसीलदार की रिपोर्ट

प.ह० की रिपोर्ट व भू.अ.नि० की जांच के आधार दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की जाती है।

9/10/25

2025
667

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

शिविर प्रभारी तहसीलदार (भू.अ.) नसीराबाद

क्रमांक/ 398

दिनांकः– 14/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम .....तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्..... के खाता संख्या .....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	प्रकरण में इन्द्राज दुरुस्ति सिद्ध नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है।					

क्रमांक:– 5689-90 दिनांक:– 14/10/25

प्रतिलिपि:– 1. तहसीलदार नसीराबाद
2. आदेश पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:28:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर